पंचायत आम निर्वाचन– 2021
अति महत्वपूर्ण

संख्या–प0नि0 30–153 / 2021 1795

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

प्रेषक,

योगेन्द्र राम,
सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–जिला
निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
प0 चम्पारण।

पटना, दिनांक– 24.3.21

विषय :– पंचायत आम निर्वाचन, 2021 संशोधित एवं सहायक मतदान केन्द्रों पर आयोग का अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–67 / पं0, दिनांक–19.03.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र से प्राप्त संशोधित एवं सहायक मतदान केन्द्रों के गठन के प्रस्ताव की जाँच के पश्चात् बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम–26 के अन्तर्गत स्तंभ–5 में अंकित मतदान केन्द्रों की संख्या पर राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन संसूचित किया जाता है।

क्र0 सं0	प्रखंड का नाम	संशोधित मतदान केन्द्रों की संख्या	सहायक मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	रामनगर	0	1	1	आयोग द्वारा अनुमोदित म0के0सं0–03 सामुदायिक भवन, खैरहनी दीन के प्रागंण में ही सहायक मतदान केन्द्र 03(क) प्राथमिक विद्यालय खैरहनी दीन अवस्थित है।
2	बैरिया	1	1	2	आयोग द्वारा अनुमोदित म0के0सं0–187 सामुदायिक भवन, सरस्वती शिशु मंदीर के पास में कमरों की सख्या मात्र 01 है और कोई सरकारी जमीन आस–पास नहीं है। जिस पर सहयक मतदान केन्द्र चलित बनाया जा सके। इसलिए मतदाता वार्ड नं0–03 में ही संशोधित मतदान केन्द्र 187 एवं सहायक मतदान केन्द्र सं 187(क) प्राथमिक विद्यालय सरपंच का टोला, तधवानन्दपुर बनाया गया है।
कुल		1	2	3	

2. मतदान केन्द्रों की सूची बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम–27 के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी हेतु नियम–8 के उप नियम (1) में विहित रीति से प्रकाशित की जाए तथा उसकी सूचना आयोग को दी जाए।

विश्वासभाजन
ह0/-
सचिव।

ज्ञापांक–1795 /–

पटना, दिनांक–24.3.21

प्रतिलिपिः– आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि संशोधित एवं सहायक मतदान केन्द्रों की सूची को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड करे।

ह0/- 23/3/2021
सचिव।

प्रपत्र - 2

{नियम 2 (भ) के अधिन}

आयोग के अनुमोदन हेतु भेजी जाने वाली सहायक मतदान केन्द्रों की सूची

जिला :- पश्चिम चम्पारण। प्रखण्ड :- रामनगर ग्राम पंचायत :- नौरंगिया दोन।

पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र की संख्या	पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र का नाम स्थल	संशोधन का कारण/औचित्य	मतदान केन्द्र का विस्तार (प्रा.नि. क्षेत्र संख्या.........)	मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की संख्या (क्र.........से..........तक)	भवन सरकारी अर्द्ध/सरकारी है अथवा नहीं	भवन में कुल कमरों की संख्या	मतदान केन्द्र तक पहुँचने के लिए मतदाता द्वारा तय की जाने वाली अधिकतम दूरी	प्रवेश एवं निकास की अलग-अलग व्यवस्था है अथवा नहीं	मतदान केन्द्र पर पहुँचने एवं मत देने हेतु कमजोर वर्ग के लोग निर्भय होकर मतदान कर सकते हैं अथवा नहीं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3(क)	सामुदायिक भवन खैरहनी दोन	न0 वि0 खैरहनी दोन	850 से अधिक मतदाता होने के कारण	3	451 से 869	सरकारी	4	100 मी0	हाँ	हाँ	आयोग द्वारा पूर्व से अनुमोदित मतदान केन्द्र सं0 03 एवं 3 (क) एक ही प्रांगण में ही स्थापित है।

प्रमाणित किया जाता है कि मतदान केन्द्रों का चयन आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में किया गया है। सभी मतदान केन्द्र पंचायत क्षेत्र में अवस्थित हैं तथा कोई मतदान केन्द्र निजी अथवा धार्मिक स्थल पर स्थापित नहीं किया गया है। चलित मतदान केन्द्र की स्थापना उक्त क्षेत्र में सरकारी/अर्द्धसरकारी भवन उपलब्ध नहीं रहने पर ही की गई है।

उप निर्वाचन पदाधिकारी -सह-
जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

उप विकास आयुक्त,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

Scanned with CamScanner

प्रपत्र - 2

{नियम 2 (म) के अधिन}

आयोग के अनुमोदन हेतु भेजी जाने वाली सहायक मतदान केन्द्रों की सूची

जिला :- पश्चिम चम्पारण। प्रखण्ड :- बैरिया ग्राम पंचायत :- तवानंदपुर

पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र की संख्या	पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन हेतु प्रस्तावित मतदान केन्द्र का नाम स्थल	संशोधन का कारण/औचित्य	मतदान केन्द्र का विस्तार (प्रा. नि.क्षेत्र संख्या.........)	मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की संख्या (क्र.........से.........तक)	भवन सरकारी अर्द्ध/ सरकारी है अथवा नहीं	भवन में कुल कमरों की संख्या	मतदान केन्द्र तक पहुँचने के लिए मतदाता द्वारा तय की जाने वाली अधिकतम दूरी	प्रवेश एवं निकास की अलग-अलग व्यवस्था है अथवा नहीं	मतदान केन्द्र पर पहुँचने एवं मत देने हेतु कमजोर वर्ग के लोग निर्भय होकर मतदान कर सकते है अथवा नहीं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	सामुदायिक भवन सरस्वती शिशु मंदिर के पास	प्रा.वि. सरपंच का टोला, तवानंदपुर	850 से अधिक मतदाता होने के कारण सहायक मतदान केन्द्र बनाया जाना है। मुल मतदान केन्द्र स्थल पर सहायक मतदान केन्द्र हेतु सरकारी भूमि का अभाव है।	3	01 से 430	सरकारी	4	100 मी0	हाँ	हाँ	वर्तमान में मतदाताओं की संख्या 850 से अधिक होने के कारण एक सहायक मतदान केन्द्र बनाया जाना है। इसके लिए पूर्व से अनुमोदित मुल मतदान केन्द्र में कमरों की संख्या मात्र 01 है तथा आस पास का जमीन सरकारी भी नहीं है कि चलंत मतदान केन्द्र स्थापित किया जा सके। वार्ड संख्या 03 में ही प्रा.वि. सरपंच के टोला तवानंदपुर में अवस्थित है
187 (क)	सामुदायिक भवन सरस्वती शिशु मंदिर के पास	प्रा.वि. सरपंच का टोला, तवानंदपुर	850 से अधिक मतदाता होने के कारण सहायक मतदान केन्द्र बनाया जाना है।	3	431 से 855	सरकारी	4	100 मी0	हाँ	हाँ	मूल मतदान केन्द्र एवं सहायक मतदान केन्द्र एक ही प्रांगण में ही अवस्थित है।

प्रमाणित किया जाता है कि मतदान केन्द्रों का चयन आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में किया गया है। सभी मतदान केन्द्र पंचायत क्षेत्र में अवस्थित हैं तथा कोई मतदान केन्द्र निजी अथवा धार्मिक स्थल पर स्थापित नहीं किया गया है। चलित मतदान केन्द्र की स्थापना उक्त क्षेत्र में सरकारी/अर्द्धसरकारी भवन उपलब्ध नहीं रहने पर ही की गई है।

17/3/21

उप निर्वाचन पदाधिकारी -सह-
जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

उप विकास आयुक्त,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित

जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

Scanned with CamScanner